राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
204 / 2025	02.06.2025	16.07.2025

उनवानः

1. राजेन्द्र सिंह उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री रामानन्द जाति अहीर निवासी गाजरीकलॉ तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादीगण

बनाम

1. विमला देवी पत्नी वेदपाल जाति अहीर निवासी कुन्दनसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतंली–बहरोड राज0 ।
2. सेढूराम पुत्र छाटूराम जाति अहीर निवासी मरूधरनगर अजमेर जिला अजमेर
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवागी

उपस्थितिः– श्री हरप्रीत यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री सुभाषचन्द योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1121/1227 रकबा 0.07 है0, 1338/1121 रकबा 0.2683 है0, 1340/1122 रकंबा 0.3450 है0 वाके ग्राम कुन्दनसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान मे मिन वादी हिस्सा–2050/6833 का खातेदार दर्ज रिकार्ड हूँ तथा शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 व 2 है। आराजी मुतनाजा मिन वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के बीच बिना बटी हुई सहखातेदारी की आराजी है। जिसका विधिवत रूप से तकासामा करवाने के लिए प्रतिवादीगण को कई बार कहा जा चुका है लेकिन प्रतिवादीगण जानबुझकर आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासमा नही करवा रहे है और आराजी मुतनाजा का अच्छा से अच्छा भाग जो रोड/रास्ता से लगाता हुआ है उस पर जबरन कब्जा कर एवं उसे अपना बताकर दिगर जगह मुन्तकिल व निर्माण करने की धमकी दे रहे है। इसलिए अब आराजी मुतनाजा सामूहिक रूप से काश्त किया जाना सम्भव नही होने के कारण मिन वादी आराजी मुतनाजा मे अपने खातेदारी हिस्से को अलग से तकसीम किया जाकर अलग खातेदार बन्दी करने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1 बाद तामिल न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा प्रतिवादी सं0 2 स्वंय न्यायालय मे उपस्थित होकर वादी द्वारा पेश दावा को स्वीकार करते हुऐ इकबाल जबाब दावा पेश किया गया।

दावा तकसीम आराजी का होने के कारण दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जान पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वादी के वाद पत्र को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाने के तर्क दिये गये तथा वकील प्रतिवादनी सं0 1 द्वारा वकील वादी की बहस का विरोध करते हुऐ वादी के वाद पत्र को प्रारम्भिक रूप से डिक्री नही करने के तर्क दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

हमने उभय पक्षकार की वहस पर गहनता से मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से वादी का वाद तकसीम आराजी का होने के कारण न्याय हित मे प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाना पाया जाने पर वादी के वाद पत्र को दिनांक 23.06.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर, तहसीलदार नीमराना को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो संवंधि राजस्व भाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2024 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.06.2025 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्वर 1121/1227 रकबा 0.07 है0, 1338/1121 रकबा 0.2683 है0, 1340/1122 रकबा 0.3450 है0 वाके ग्राम कुन्दनसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–वहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 03.07.2025 को इस न्यायालय मे पेश की गई । वकील वादी उपस्थित, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 03.07.2025 के मुताविक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजन्द्र सिंह पुत्र रामानन्द हि0 2050/5467 जाति अहीर साकिन माजरीकलां खातेदार	1340/1122/2	0.2084
		1121/1277	0.07
2.	सेढूराम पुत्र छोटूराम हि0 3417/5467 जाति अहीर साकिन मरूधरनगर अजमेर खातेदार	1338/1121	0.2683
		कुल किता–3 रकबा 0.5467 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	विमला देवी पत्नी वेदपाल हिस्सा सम्पूर्ण अहीर सा0 देह खातेदार	1340/1122/1	0.1366
		कुल किता–1 रकबा 0.1366 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताविक तितम्वा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्वर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
204/2025	02.06.2025	16.07.2025

उनवान:

1. राजेन्द्र सिंह उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री रामानन्द जाति अहीर निवासी माजरीकलॉं तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादीगण

बनाम

1. विमला देवी पत्नी वेदपाल जाति अहीर निवासी कुन्दनसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
2. सेढूराम पुत्र छाटूराम जाति अहीर निवासी मरूधरनगर अजमेर जिला अजमेर
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनांई दवामी

उपस्थितिः– श्री हरप्रीत यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री सुभाषचन्द योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 03.07.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजन्द्र सिंह पुत्र रामानन्द हि0 2050/5467 जाति अहीर साकिन माजरीकंलॉ खातेदार	1340/1122/2	0.2084
		1121/1277	0.07
2.	सेढूराम पुत्र छोटूराम हि0 3417/5467 जाति अहीर साकिन मरूधरनगर अजमेर खातेदार	1338/1121	0.2683
		कुल किता–3 रकबा 0.5467 है0	

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	विमला देवी पत्नी वेदपाल हिस्सा सम्पूर्ण अहीर सा0 देह खातेदार	1340/1122/1	0.1366
		कुल किता–1 रकबा 0.1366 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)